मेरठ विकास प्राधिकरण

की

107वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 28—03—2016

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 107वीं बैठक दिनांक 28–03–2016 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 107वीं बैठक कार्यालय मण्डायुक्त सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 28–03–2016 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री राजेश कुमार,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री पंकज यादव,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री डी0सी0गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक (4), (प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ) मुख्यालय, लखनऊ।	
4.	श्री कुल भूषण वार्ष्णेय	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
5.	श्री अतुल कुमार सिंह	अपर निदेशक, (प्रतिनिधि, विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ) कोषागार एवं पेन्शन, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री राजीव कुमार गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, (प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ) निर्माण खण्ड–8, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य

7.	श्री डी0पी0 श्रीवास्तव	अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (संयुक्त संगठन) मेरठ।	विशेष आमन्त्रित सदस्य
8.	श्री के0पी0सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री आई0पी0एस0 पंवार	अपर निदेशक उद्योग, जिला उद्योग, मेरठ।	सदस्य
10.	श्री राकेश कुमार	उप महाप्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य
11.	श्री मनोज कुमार	सहायक वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि आयुक्त, एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद।	सदस्य
12.	डा0 राजेश सिंह	शासन द्वारा नामित	सदस्य
13.	श्री परमिन्दर इशू	शासन द्वारा नामित	सदस्य
14.	श्रीमती मिष्ठा देवी	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
15.	श्री राजेन्द्र सिंह	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
16.	श्री पंकज कतीरा	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य

17.	श्री विजय आनन्द	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
18.	श्री कुमार विनीत	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक / सदस्य

प्राधिकरण की 106वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10–09–2015 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

106वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 106वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10–09–2015 के निर्णय का अनुपालन आख्याः–

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0–01	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा बागपत रोड पर राजस्व ग्राम पांचली खुर्द की भूमि पर ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने हेतु HUDCO, नई दिल्ली से रु0 200.00 करोड़ का ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं0–02	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा 'समाजवादी आवास योजना' अन्तर्गत निर्माणाधीन 1451 बहु–खण्डीय भवनों के निमार्ण लागत को वहन	समाजवादी आवास योजना शासन की महत्वाकांशी योजना है। माननीय बोर्ड द्वारा ऋण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति देते हुए निर्देश दिये गये कि

	करने हेतु हडको, नई दिल्ली से रू0 10000.00 लाख का ऋण लिये जाने का प्रस्ताव।	प्राधिकरण के वित्तीय हितों के दृष्टिगत भवनों की विक्रयशीलता को निर्माण के साथ समेकित करते हुए विस्तृत कार्य योजना आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।
मद सं0–03	वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	माननीय बोर्ड द्वारा गहन चर्चा उपरान्त बजट अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि किसी भी मद में स्वीकृत बजट के सापेक्ष अधिक व्यय होने पर उसका औचित्य भी प्रस्तुत किया जाये।
मद सं0–04	मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना के पॉकेट बी में सी0एन0जी0 स्टेशन की स्थापना हेतु आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी–1, क्षेत्रफल 1552.50 वर्ग मीटर के आवंटन के सम्बन्ध में दिनांक 26–03–2015 को सम्पन्न माननीय बोर्ड के निर्णय के क्रम में गेल गैस लि0 पक्ष में व्यवसायिक भूमि के आवंटन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों पर पुर्नविचार हेतु प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक भूमि की लागू सर्किल दर से भूखण्ड का मूल्यांकन एवं प्राधिकरण की व्यवसायिक दर के अनुसार देयता इनमें जो भी अधिक हो, से प्रश्नगत व्यवसायिक भूखण्ड गेल गैस लि0 को आवंटित किया जाये।
मद सं0–05	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आम व्यक्ति/जनता/बिल्डर को जारी किये जाने वाले मानचित्रों की प्रमाणित प्रति निर्गत करने हेतु देय फीस का निर्धारण हेतु प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा इस निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट Guidelines बनाने के उपरान्त ही लागू किया जाये। विशेष ध्यान रखा जाये कि किसी व्यक्ति विशेष की

		निजता के सम्बन्ध में इसका दुरूपयोग न हो।
मद सं0–06	मेरठ नगर नौचन्दी क्षेत्र (सुरजकुण्ड) के अन्तर्गत 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि भूमि का मूल्यांकन कर पॉवर कार्पोरेशन को अवगत करा दिया जाये जिसका वें तीन वर्ष के अन्दर विद्युत देयकों/सुपरविजन चार्ज अथवा जैसा उन्हें उचित हो, समायोजन करेंगे।
मद सं0–07	क्षेत्राधिकारी, सिविल लाईन, जनपद मेरठ के कार्यालय हेतु स्थान आवंटित करने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उचित किराया दर प्रमाण पत्र पर आवंटन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं0–08	स्पोर्टस गुडस कॉम्पलैक्स योजना पॉकेट "ए" के तलपट मानचित्र को संशोधित करने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, अग्रेतर कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
मद सं0–09	मै0 जयनारायण फैब प्रा0लि0 द्वारा कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्रिया अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की 106वी बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शमन मानचित्र निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि शासनादेश सं 5360/8–3–06–5 महा0/2003 टी0सी0 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 23–10–2006 द्वारा स्वीकृत मेरठ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अधीन गठित समिति की संस्तुति दिनांक 09–09–2015 द्वारा लगायी गयी सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

मद सं0 10	मानचित्र स्वीकृत के समय प्राधिकरण में लिए जाने वाले विभिन्न शुल्को की वृद्धि के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के क्रम संख्या 1(ब), 2, 3 व 4 व 6 तथा क्रम संख्या 7(6) के अन्तर्गत तलपट मानचित्र हेतु शुल्कों के अनुमोदन के साथ–साथ व क्रमाँक 7(7), 7(8), 7(9) व 7(10) के अन्तर्गत क्रमशः प्रभाव शुल्क, भावी ग्रामीण विकास शुल्क, सिटी डेवेलपमेंट चार्ज (हाईटेक एवं इंटीग्रटिड टाउनशिप हेतु) व लाईसेंस फीस, (इन्टीग्रटेड टाउनशिप) हेतु प्रस्तावित दरों का अनुमोदन प्रदान करते हुए अन्य शेष दरों को पूर्व की भाँति यथावत् लागू किया जाने का निर्णय लिया गया।
मद सं0 11	प्राधिकरण हेतु वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा वाहन क्रय करने की बजाय किराये पर लेने के निर्देश दिये गये।
मद सं0 12	स्पोर्टस सम्बन्धी कार्य हेतु बजट प्राविधान के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा रूपये 10.00 लाख प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
मद सं0 13	प्राधिकरण की गंगानगर, गंगानगर विस्तार (42.00 एकड़), डा0 राम मनोहर लोहियानगर एवं वेद व्यासपुरी योजना के कृषकों को शतात्बदीनगर योजना की तर्ज पर अतिरिक्त प्रतिकर की माँग के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा परिचालन दिनांक 10–11–2015 पर सहमति प्रदान की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव		
अनुपूरक मद सं0 01	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा लाटरी पद्धति से आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष जमा पंजीकरण धनराशि के वापसी पर कटौती में कमी हेतु प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् जमा पंजीकरण धनराशि की वापसी के समय की जाने वाली कटौती 20 प्रतिशत कटौती के स्थान पर 05 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
अनुपूरक मद सं0 02	मेरठ विकास प्राधिकरणद्वारा कराये जाने वाले समस्त कार्योमें 'ई–टैण्डरिंग' प्रक्रिया लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा गहन चर्चा उपरान्त रूपये 25.00 लाख से ऊपर के कार्यो के लिये ''ई–टैण्डर'' पद्धति अपनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
अनुपूरक मद सं0 03	मा0 विधायक द्वारा उनकी विधायक निधि से विकास कार्यों में निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक विचलन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	शासन के पत्र सं0 वी.आई.पी.–41/आठ–1–16–126 विविध/2015 दिनांक 08 फरवरी, 2016 के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ सैद्धान्तिक सहमति दी गयी कि उपाध्यक्ष प्रश्नगत प्रकरण में विधि अनुसार व शासन के निर्देश के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य बिन्दुः—</u>

1. माननीय बोर्ड के सदस्य जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण में शासन द्वारा अधिसंख्यक पदों को सृजित कर कर्मचारियों का समायोजन किया गया है। जनपद में ऐसे कई विभाग है जहाँ पर पद रिक्त है व कर्मचारियों की कमी है। अतः शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये कि प्राधिकरण के ऐसे कर्मचारियों को जनपद में ही अन्य विभागों में समायोजित किया जाये। मा0 बोर्ड द्वारा सहमति दी गयी।

2. पारेषण मण्डल के प्रतिनिधि द्वारा गंगानगर योजना में विद्युत सब—स्टेशन हेतु आवंटित भूमि जो कि प्राधिकरण एवं कृषकों के मध्य विवाद के कारण उपलब्ध नहीं हो सकी है, गंगानगर योजना में 2 एकड़ भूमि तलाश कराकर 132के0वी0ए0 सब स्टेशन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

3. शासन द्वारा नामित सदस्य डा0 राजेश सिंह द्वारा यह माँग रखी गयी कि प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत बृह्द आकार के व्यवसायिक भूखण्डों को छोटे—छोटे भागों में नियोजन करके विक्रय करने का प्रयास किया जाये। उपाध्यक्ष द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए सहमति व्यक्त की गयी।

4. शासन द्वारा नामित सदस्य श्री परविन्दर इश्यू द्वारा यह माँग रखी गयी कि चौराहों के निर्माण/सौन्दर्यकरण के कार्यो का अन्तिम भुगतान, समिति की संस्तुति के उपरान्त किया जाये तथा दिल्ली से मेरठ में प्रवेश करते समय दिल्ली रोड़, बाईपास तिराहे पर एक प्रवेश द्वार बनवाया जाये। माननीय बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये।

5. नगर निगम द्वारा नामित सदस्य द्वारा श्रद्धापुरी फेस—1 एवं पल्लवपुरम योजना के आवंटियों की सीवर मेन्टीनेन्स बिलों की समस्या रखी कि प्राधिकरण द्वारा एस0टी0पी0 का निर्माण नहीं हुआ है, बिना एस0टी0पी0 निर्माण के सीवर

मेन्टीनेन्स के बिल आवंटियों को जारी कर दिये गये है जिस पर मा0 बोर्ड द्वारा परीक्षण कर अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

31/3.	31.3.16	
(कुमार विनीत)	(राजेश कुमार)	(आलोक सिन्हा)
सचिव,	उपाध्यक्ष,	अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,	मेरठ विकास प्राधिकरण,	मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।	मेरठ।	मेरठ।